

## सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

### 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार, जो दिनांक 8 फरवरी 2019 के सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 के साथ पढ़ा जाए)

प्रति  
सदस्यगण,  
**भारतीय स्टेट बैंक**

हमने भारतीय स्टेट बैंक (जिसे कि इसके पश्चात 'बैंक' कहा गया है) पर लागू सांविधिक प्रावधानों और सुशासन व्यवहारों के उनके द्वारा अनुपालन की सचिवालयीन लेखा परीक्षा की है। सचिवालयीन लेखा परीक्षा इस ढंग से की गई है कि इससे हमें कॉरपोरेट व्यवहारों / सांविधिक अनुपालनों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए और उस पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला है।

बैंक की बहियों, कागजात, कार्यविवरण बही, फॉर्मों और दायर विवरणियों तथा बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर और सचिवालय लेखा परीक्षा के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में, बैंक द्वारा लेखा परीक्षा अवधि 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान यहां इसके नीचे दी गई सूची के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और यह भी रिपोर्ट करते हैं कि उचित बोर्ड कार्यप्रणालियों और अनुपालन तंत्र की यहां इसके पश्चात की गई रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं, ढंग और उसके अधीन व्यवस्था की गई है:

हमने बहियों, कागजात, कार्यविवरण बही, फॉर्मों और दायर की गई विवरणियों तथा बैंक द्वारा 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान रखे गए अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच पड़ताल की है:

- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 ('अधिनियम') और उनके तहत बनाए गए भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 ('विनियम');
- प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और उनके तहत बनाए गए नियम;
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 एवं उनके तहत बनाए गए विनियम एवं उप-विधियां;

- विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों जहां तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों का संबंध है;
- निम्नलिखित भारतीय विनियम और दिशानिर्देश के अंतर्गत निर्धारित :-
  - भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहण का पर्याप्त अर्जन) विनियम, 2011;
  - भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिबंध), विनियम, 2015;
  - भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (पूजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षा), विनियम, 2018;
  - भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ एवं स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 #
  - भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूति जारी करना एवं सूचीकरण) विनियम, 2008
  - भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम 1993; कंपनी अधिनियम के साथ पठित एवं ग्राहक के साथ व्यवहार संबंधी
  - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) अधिनियम, 2021 #
  - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम 2018 #
  - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स) विनियम 2018;

#विनियम या दिशानिर्देश, जैसा भी मामला हो समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं थे।

बैंकों के लिए विशेष रूप से लागू अधिनियमों,

कानूनों और विनियमों की सूची नीचे दी गई है:

- यथासंशोधित बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के रूप में संशोधन
- आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी किए गए मास्टर निर्देश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश।

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) के लिए लागू खण्ड के अनुपालन की जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन, निम्नलिखित को छोड़कर, 01.09.2021 से सूचीकरण विनियम के विनियम 15(2) (ख) के परतुक को छोड़ देने के कारण, लागू सीमा तक किया है:

- सूचीकरण विनियमों के विनियम 17(1) के अनुसार बैंक के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की पर्याप्त संख्या नहीं थी। इसके अलावा केंद्रीय बोर्ड में कोई महिला निदेशक भी नहीं थी जबकि सूचीकरण विनियमों के विनियम 17(1) (ए) \* की आवश्यकतानुसार एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए।
- सूचीकरण विनियमों के विनियम 18(1) के अनुसार 07 दिसंबर 2021 तक बैंक के केंद्रीय बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक की पर्याप्त संख्या नहीं थी। तथापि, ऊपर उल्लिखित विनियम\* के अनुपालन में 31 मार्च 2022 को बैंक की लेखापरीक्षा समिति में चार (04) स्वतंत्र निदेशकों सहित कुल पांच (05) निदेशक हैं।

### हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

उपर्युक्त को देखते हुए, बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुई केंद्रीय निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन करते हुए किए गए थे।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकों का कार्यक्रम तय करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी, एजेंडा और एजेंडे में विस्तृत टिप्पण को बैठकों के लिए पहले भेजा गया था और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रक्रिया मौजूद है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए और कार्यविवरण की समीक्षा करते हुए कोई असहमत विचार नहीं देखा गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू, कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

**हम आगे रिपोर्ट करते हैं** कि समीक्षा अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित कार्यों को किया है:

- बैंक ने 13,974 करोड़ रुपए (तेरह हजार नौ सौ चौहत्तर करोड़ रुपए मात्र) के डिबेंचर के रूप में अतिरिक्त टियर-1 पूंजी के रूप में बासेल III अनुरूप डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आबंटित एवं जारी किए हैं।
- बैंक ने ₹7,100 करोड़ (सात हजार एक सौ करोड़ रुपए मात्र) के अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड और ₹1,000 करोड़ के टियर 2 बॉन्ड (एक हजार करोड़ रुपए मात्र) को रिडीम/ कॉल विकल्प उपयोग किया है; कुल बॉन्ड रिडेम्पशन ₹8,100 करोड़ (आठ हजार और एक सौ करोड़ रुपए मात्र) रहा।
- बैंक ने यूएस प्रतिभूति अधिनियम, 1933 के विनियम 144ए/विनियमन-एस के तहत 5 वर्ष की परिपक्वता वाले 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर सीनियर असुरक्षित निश्चित दर के नोट जारी किए। उक्त ऑण्ड 26 जनवरी 2022 को बैंक की लंदन शाखा के माध्यम से जारी किए गए तथा वह ताइपई एक्सचेंज (टीपीएक्स), सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज एवं इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी पर सूचीबद्ध हैं।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों एवं चयनित वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग) निर्देशों, 2016 में उल्लिखित निर्देशों का पालन नहीं करने एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 19 के उप खण्ड (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बड़े ऋणों के संबंध में (सीआरआईएलसी पोर्टल के माध्यम से) डाटा प्रस्तुत करते समय डाटा की सत्यता एवं शुद्धता पर ध्यान न देने पर अपने पत्र दिनांक 06 जुलाई 2021 एवं 18 अक्टूबर 2021 एवं 26 नवंबर 2021 द्वारा बैंक पर 2.5 करोड़ रुपए (2 करोड़ पचास लाख मात्र) का अर्थदण्ड लगाया।

**कृते भंडारी एंड एसोसिएट्स**  
कंपनी सचिव

**एस एन भंडारी**

पार्टनर

एफसीएस नं : 761 ; सी पी नं.: 366

मुंबई : जून 2022

आईसीएसआई यूडीआईएन : F000761D000313491

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो **अनुलग्नक 'ए'** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा है।

## अनुलग्नक ए

सेवा में,  
सदस्यगण

### भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2022 को सम-तिथि के साथ समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालयीन रिकॉर्ड का रखरखाव बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन रिकॉर्ड पर अभिमत व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवालयीन रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षा के आधार पर सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवालयीन रिकॉर्ड में सही तथ्य दिखें। हमारा विश्वास है कि हम जिन प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हैं वह हमारी राय को उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बही की शुद्धता एवं उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।
4. जहां भी आवश्यक है, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉरपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक के भविष्य की व्यवहार्यता के लिए कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता से संबंधित है, जिसके द्वारा प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

### कृते भंडारी एंड एसोसिएट्स

कंपनी सचिव

### एस एन भंडारी

पार्टनर

एफसीएस नं : 761 ; सी पी नं.: 366

मुंबई : जून 2022

आईसीएसआई यूडीआईएन : F000761D000313491

## निदेशकों के अयोग्य न होने का प्रमाणपत्र

(सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसार)

सेवा में,  
सदस्यगण  
**भारतीय स्टेट बैंक**  
स्टेट बैंक भवन  
मैडम कामा रोड  
मुंबई - 40002

हमने भारतीय स्टेट बैंक (जिसे कि आगे 'बैंक' कहा गया है) जिसका केंद्रीय कार्यालय स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021 में स्थित है, के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्ट्रारों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणियों और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे कि विनियमन 34(3) के अनुसार भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुसूची V पैरा सी उप खंड 10(i) के साथ पढ़े गए इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया।

हमारे विचार से और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार तथा आवश्यकतानुसार सत्यापन (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) तथा बैंक एवं उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए नीचे उल्लिखित बैंक के केंद्रीय बोर्ड में शामिल निदेशकों में से किसी को भी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, या अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से रोकने के लिए या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्रम	निदेशक का नाम	डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की तारीख
1	श्री दिनेश कुमार खारा	06737041	09/08/2016
2	श्री चल्ला श्रीनिवासूलू सेट्टी	08335249	20/01/2020
3	श्री अश्वनी भाटिया	07423221	24/08/2020
4	श्री स्वामिनाथन जे	08516241	28/01/2021
5	श्री अश्विनी कुमार तिवारी	08797991	28/01/2021
6	श्री बी वेणुगोपाल	02638597	07/06/2018
7	डॉ गणेश जी नटराजन	00176393	26/06/2020
8	श्री केतन एस विक्रमसी	00282877	26/06/2020
9	श्री मृगांक एम परांजपे	02162026	26/06/2020
10	श्री संजीव महेश्वरी	02431173	20/12/2019
11	श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़	03544734	21/12/2021
12	श्री संजय मल्होत्रा	00992744	16/02/2022
13	श्री अनिल कुमार शर्मा	08537123	13/04/2021

केंद्रीय बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/जारी रखने की पात्रता सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना है। यह प्रमाण-पत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के मामलों का संचालन करने की दक्षता या प्रभावशीलता से संबंधित है।

कृते **भंडारी एंड एसोसिएट्स**  
कंपनी सचिव

**एस एन भंडारी**  
पार्टनर

एफसीएस नं : 761 ; सी पी नं.: 366

मुंबई : जून 2022

आईसीएसआई यूडीआईएन : F000761D000313491

## कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत कॉरपोरेट अभिशासन आवश्यकताओं के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

प्रति

**सदस्य गण,  
भारतीय स्टेट बैंक**

1. यह प्रमाण पत्र 28 मार्च, 2022 को हमारे करार पत्र की शर्तों के अनुसार जारी किया गया है।
2. हम, मैसर्स खंडेलवाल जैन एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") के संयुक्त सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि विनियम 17 से 27 और उप विनियम के खंड (i) [और (टी)] के खंड सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") की अनुसूची V के विनियमन 46 और पैरा-सी, डी और ई ("सूचीकरण विनियम") के (2) और अनुसूची V के पैरा-सी, डी और ई के (2) में निर्धारित किया गया है।

### प्रबंधन की जिम्मेदारी

3. बैंक का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि बैंक सूचीकरण विनियमों में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करता है। इस उत्तरदायित्व में आंतरिक नियंत्रणों और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है ताकि सूचीकरण विनियमों में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

### लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

4. हमारी जिम्मेदारी कॉरपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन की जांच करने तक ही सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।
5. हमने बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन आवश्यकताओं के अनुपालन पर उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा रखे गए बही खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है।

6. जहां तक इस प्रमाण पत्र के उद्देश्य पर प्रयोज्य एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा उन विशेष प्रयोजनों जिनके लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए आचार संहिता की नैतिक अपेक्षाओं का पालन करना हमारे लिए जरूरी है, के लिए रिपोर्टों अथवा प्रमाणपत्रों पर जारी मार्गदर्शक नोट के अनुसार हमने अपनी परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन के प्रमाणन पर जारी किए गए मार्गदर्शक नोट एवं लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित की है।
7. हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, वित्तीय ऐतिहासिक जानकारी की लेखापरीक्षा एवं समीक्षा करने वाली संस्थाओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए अन्य आश्वासन एवं संबद्ध जुड़ावों से संबंधित प्रयोज्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

### अभिमत

8. उपर्युक्त हमारी जांच एवं हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित को छोड़कर सूचीकरण विनियम के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (ख) से (झ) एवं अनुसूची V के पैरा ग एवं घ में निर्धारित किए गए अनुसार बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।
  - (क) बैंक के पास सूचीकरण विनियमों के विनियम 17 (1) के संदर्भ में अपने केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। इसके अलावा, केंद्रीय बोर्ड के पास एक महिला निदेशक और एक स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी जैसा कि सूचीकरण विनियमों के विनियमन 17 (1) के तहत अपेक्षित था।
  - (ख) बैंक के पास सूचीकरण विनियमों के विनियम 18 (1) के तहत आवश्यकतानुसार 07 दिसंबर, 2021

तक अपनी लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। तथापि उपर्युक्त विनियम के अनुपालन में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, बैंक की लेखा परीक्षा समिति में चार स्वतंत्र निदेशकों सहित पांच निदेशक शामिल थे।

9. हम स्पष्ट करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

### उपयोग पर प्रतिबंध

10. यह प्रमाण पत्र बैंक के सदस्यों को केवल कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित सूचीकरण विनियमों की आवश्यकताओं को समझने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से संबोधित और प्रदान किया जाता है, और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए देखभाल के किसी भी दायित्व या किसी भी कर्तव्य को स्वीकार नहीं करते हैं या मानते हैं, जिसे यह प्रमाण पत्र दिखाया गया है या जिनके हार्थों में यह लिखित रूप में हमारी पूर्व सहमति के बिना आ सकता है। इस प्रमाणपत्र की तिथि के बाद होने वाली किसी भी घटना या परिस्थितियों के लिए इस प्रमाणपत्र को अद्यतन करने के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

### खंडेलवाल जैन एंड कंपनी के लिए

सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण संख्या: 105049W

### शैलेश शाह

भागीदार  
सदस्यता संख्या:  
UDIN 033632: 22033632AJEITX6259

स्थान: मुंबई  
तिथि : 13 मई, 2022